

NAME	PLACE	DATE
Nava Bharat	Indore	18.08.2023

# मराल ओवरसीज लिमिटेड

सीआईएन: L17124MP1989PLC008255

पंजीकृत कार्यालय: मराल सरोवर, ग्राम एवं पोस्ट खलबुजुर्ग, तहसील कसरावाद जिला खरगोन - 451 660, (मध्य प्रदेश)

फोन: +91 - 7285-265401, 265405, फैक्स: +91 - 7285-265406

कॉर्पोरेट कार्यालय : भीलवाड़ा टॉवर्स, ए-12 सेक्टर-1, नोएडा - 201 301, उत्तर (प्रदेश)

फोन: +91-120-4390300 (EPABX), फैक्स: +91-120-4277841

ईमेल: [maral.investor@Injebilwara.com](mailto:maral.investor@Injebilwara.com); वेबसाइट: <https://www.maraloverseas.com>

## वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग/अन्य ऑडियो-विजुअल माध्यमों से आयोजित होने वाली मराल ओवरसीज लिमिटेड की 34वीं वार्षिक आम बैठक की सूचना

एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि मराल ओवरसीज लिमिटेड ("कम्पनी") की 34वीं वार्षिक आम बैठक ("एजीएम") वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ("वीसी")/अन्य ऑडियो विजुअल साधनों ("ओवीएम") के माध्यम से बुधवार, 20 सितम्बर, 2023 को 2:00 बजे अपराह्न 34वीं एजीएम की सूचना, जो नियत समय पर प्रेषित किया जाएगा, में निहित व्यवसायों के सम्पादन हेतु आयोजित की जाएगी। उक्त बैठक का स्थान मराल सरोवर, वी. व पी.ओ. खलबुजुर्ग, तहसील कसरावाद, जिला खरगोन-451660, मध्य प्रदेश माना जाएगा।

कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय ("एमसीए") द्वारा जारी सामान्य परिपत्र सं. 14/2020 दिनांकित 8 अप्रैल, 2020 (के साथ पठित परिपत्र सं. 17/2020 दिनांकित 13 अप्रैल, 2020, परिपत्र सं. 02/2021 दिनांकित 13 जनवरी, 2021, परिपत्र सं. 21/2021 दिनांकित 14 दिसम्बर, 2021, परिपत्र सं. 02/2022 दिनांकित 5 मई, 2022 एवं परिपत्र सं. 10/2022 दिनांकित 28 दिसम्बर, 2022) तथा परिपत्र सं. 20/2020 दिनांकित 5 मई, 2020 के अनुपालन में तथा इसके साथ ही भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड ("सेबी") द्वारा जारी विभिन्न परिपत्रों दिनांकित 5 जनवरी 2023 (के साथ पठित परिपत्र दिनांकित 13 मई, 2022, दिनांकित 15 जनवरी, 2021 एवं दिनांकित 12 मई, 2020) (सामूहिक रूप से "लागू परिपत्रों" के रूप में संदर्भित) के हवाले से कम्पनियों के एजीएम का आयोजन, एजीएम स्थल पर सदस्यों की भौतिक उपस्थिति के बिना, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग/अन्य ऑडियो विजुअल साधनों ("वीसी"/ओवीएम") के माध्यम से आयोजित करने की अनुमति दी है। लागू परिपत्रों के अनुपालन में, कम्पनी की 34वीं वार्षिक आम बैठक वीसी/ओवीएम के माध्यम से आयोजित की जाएगी। अतः सदस्य एजीएम में मात्र वीसी/ओवीएम के माध्यम से उपस्थित हो सकते एवं भाग ले सकते हैं। एजीएम में सम्मिलित होने के निर्देश एजीएम की सूचना में दिए जाएंगे।

सदस्य कृपया ध्यान दें कि उपर्युक्त परिपत्रों के अनुसरण में एवं सरकार की गो-ग्रीन पहल को आगे बढ़ाने के क्रम में, एजीएम की सूचना एवं वित्तीय वर्ष 2022-23 हेतु वार्षिक रिपोर्ट केवल उन सदस्यों को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम द्वारा भेजी जाएगी जिनका ईमेल पता कम्पनी अथवा डिपॉजिटरी प्रतिभागी के साथ पंजीकृत हैं। पूर्वोक्त दस्तावेज कम्पनी की वेबसाइट [www.maraloverseas.com](http://www.maraloverseas.com) तथा स्टॉक एक्सचेंजों की वेबसाइट, अर्थात् बीएसई लिमिटेड [www.bseindia.com](http://www.bseindia.com) एवं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड [www.nseindia.com](http://www.nseindia.com) पर तथा एनएसडीएल (रिमोट ई-वोटिंग सुविधा प्रदान कराने वाली एजेंसी) की वेबसाइट अर्थात् [www.evoting.nsdl.com](http://www.evoting.nsdl.com) पर भी उपलब्ध होंगे।

कम्पनी के सदस्यों का रजिस्टर एवं शेयर अंतरण पुस्तकें बृहस्पतिवार, 14 सितम्बर, 2023 से बुधवार, 20 सितम्बर, 2023 (दोनों दिवस सम्मिलित) तक कम्पनी की 34वीं वार्षिक आम बैठक के प्रयोजन हेतु बंद रहेंगे।

कम्पनी एजीएम में संपादित किए जाने वाले व्यवसायों के संबंध में अपने सदस्यों को रिमोट ई-वोटिंग एवं एजीएम में ई-वोटिंग की सुविधा प्रदान करेगी। इस प्रयोजन हेतु, कम्पनी ने नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से वोटिंग की सुविधा हेतु अधिकृत एजेंसी के तौर पर व्यवस्था की है।

रिमोट ई-वोटिंग की अवधि रविवार, 17 सितम्बर, 2023 (9:00 बजे पूर्वाह्न) से प्रारम्भ होगी तथा मंगलवार, 19 सितम्बर, 2023 (5:00 बजे अपराह्न) समाप्त होगी। बुधवार, 13 सितम्बर, 2023 की कट-ऑफ तिथि के अनुसार, भौतिक रूप में या डीमैटेरियलाइज्ड रूप में शेयरों को रखने वाले सदस्य, इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपना वोट डाल सकते हैं। इसके उपरान्त ई-वोटिंग मॉड्यूल को एनएसडीएल द्वारा निष्क्रिय कर दिया जाएगा। वे सदस्य, जो वीसी/ओवीएम सुविधा के माध्यम से एजीएम में उपस्थित हों और जिन्होंने रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से प्रस्तावों पर अपना वोट नहीं डाला है और अन्यथा ऐसा करने से प्रतिबंधित नहीं हैं, एजीएम दौरान ई-वोटिंग प्रणाली के माध्यम से मतदान करने हेतु पात्र होंगे।

वह व्यक्ति जिसका नाम सदस्यों के रजिस्टर या डिपॉजिटरी द्वारा अनुरक्षित लाभार्थियों के रजिस्टर में, कट-ऑफ तिथि अर्थात् बुधवार, 13 सितम्बर, 2023 को दर्ज हो, मात्र वे ही रिमोट ई-वोटिंग या वार्षिक आम बैठक में वोट करने का पात्र होगा। डीमैटेरियलाइज्ड तौर पर, भौतिक तौर पर शेयर रखने वाले एवं जिन सदस्यों ने अपना ईमेल पता पंजीकृत नहीं कराया है, हेतु ई-वोटिंग की प्रणाली एजीएम की सूचना में प्रदान की जाएगी। ई-वोटिंग हेतु लॉगिन विवरण सदस्यों को उनके पंजीकृत ईमेल पते पर उपलब्ध कराया जाएगा।

जो सदस्य भौतिक रूप में शेयर धारण करते हैं या जिन्होंने कम्पनी के साथ अपने ईमेल पते पंजीकृत नहीं किया है, वे रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से या ई-वोटिंग सिस्टम के माध्यम से बैठक के दौरान एजीएम की सूचना में दिए गए तरीके से अपना वोट डाल सकते हैं।

किसी भी प्रश्न/शिकायत के मामले में, सदस्य "<http://www.evoting.nsdl.com>" के डाउनलोड अनुभाग पर उपलब्ध सदस्यों हेतु फ्रीक्वेंटली आस्कड क्वेश्चन (एफएक्यू) तथा सदस्यों हेतु एजीएम में भाग लेने तथा रिमोट ई-वोटिंग उपयोगकर्ता पुस्तिका संदर्भित कर सकते हैं अथवा 022 - 4886 7000 एवं 022 - 2499 7000 पर कॉल कर सकते हैं अथवा सुश्री पल्लवी म्हात्रे, वरिष्ठ प्रबंधक, एनएसडीएल को [evoting@nsdl.co.in](mailto:evoting@nsdl.co.in) पर अनुरोध भेज सकते हैं। सदस्य कम्पनी को [maral.investor@Injebilwara.com](mailto:maral.investor@Injebilwara.com) पर लिखकर एवं ईमेल कर सकते हैं।

उपरोक्त जानकारी कम्पनी के सभी सदस्यों की जानकारी और लाभ के लिए जारी की जा रही है और एमसीए परिपत्रों एवं सेबी परिपत्र(ओं) के अनुपालन में है।

बोर्ड के आदेशानुसार  
कृते मराल ओवरसीज लिमिटेड

हस्ता/-

विरेंद्र कुमार गर्ग

कम्पनी सचिव

एफसीएस - 7321

स्थान : नोएडा (उ.प्र.)

दिनांक : 17 अगस्त, 2023